# बिहार सरकार
## खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

### ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री लल्लू कुमार सिंह (स0जि0आ0पदा0, आपूर्ति सेवा), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नवादा सम्प्रति गोपालगंज के विरूद्ध मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति), निगम मुख्यालय, पटना के पत्रांक–2731 दिनांक–12.08.2025 द्वारा जिला प्रबंधक, नवादा के पदस्थापन अवधि में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2023–24 अन्तर्गत मानक कार्य योजना एवं मार्गदर्शिका के आलोक में सी0एम0आर0 प्राप्ति नहीं करने, प्राप्त सी0एम0आर0 का सतत् पर्यवेक्षण/अनुश्रवण नहीं करने, संबंधित सहायक प्रबंधक/गुणवत्ता नियंत्रक/मिलर के विरूद्ध निम्न गुणवत्ता का सी0एम0आर0 प्राप्त करने के लिए कार्रवाई नहीं करने तथा सी0एम0आर0 गोदाम संख्या–14 में 9331.27 क्विंटल खराब सी0एम0आर0 प्राप्त करने में सहभागिता परिलक्षित होने, अपने आई0डी0 पासवर्ड पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने जिसके कारण आई0टी0 प्रबंधक द्वारा दुरूपयोग कर खराब गुणवत्ता का Rejected CMR दूसरे CMR गोदाम में उतरवाये जाने, निगम मुख्यालय एवं उच्चाधिकारियों के निदेश की अवहेलना करने, कर्त्तव्यहीनता तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के संगत प्रावधानों के उल्लंघन करने जैसे संबंधित आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

इस प्रकार श्री सिंह द्वारा सरकारी कार्य तथा अपने कर्त्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता/स्वेच्छाचारिता, निगम/वरीय पदाधिकारियों के निदेशों की अवहेलना जैसे आरोप प्रतिवेदित है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के संगत प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। उपर्युक्त आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के अधीन श्री सिंह के विरूद्ध जाँच करने का प्रस्ताव है।

2. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री लल्लू कुमार सिंह (स0जि0आ0पदा0, आपूर्ति सेवा), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नवादा सम्प्रति गोपालगंज से अपेक्षा की जाती है कि एक पक्ष के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन विभाग को अवश्य प्रस्तुत करें तथा यह भी बतायें कि जिन आरोप के मदों को आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उनकी व्यक्तिशः सुनवाई चाहते हैं।

3. श्री सिंह को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरोपों के मदों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन एक पक्ष के अन्दर तक नहीं प्राप्त होगा, तब निलंबन एवं विभागीय जाँच के संबंध में निर्णय उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर कर लिया जाएगा।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(नवादा)–14/2025 2037 खाद्य, पटना/दिनांक– 21-8-2025

प्रतिलिपि–1. श्री लल्लू कुमार सिंह (स0जि0आ0पदा0, आपूर्ति सेवा), जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज, मो0–9155073087, E-Mail ID : 191100143singh@gmail.com को आरोप पत्र एवं साक्ष्य अभिलेखों के साथ (अनु0–75 पृष्ठ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नवादा तथा गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा तथा गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।